



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 13/07/2017, दिनांक 09.06.2018

सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017

दिव्यांग परीक्षार्थियों हेतु अतिरिक्त समय/ सहलेखक की व्यवस्था में संशोधन

- 01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन हेतु विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 07/2017, दिनांक 12.12.2017 आयोग की वेबसाइट तथा "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के दिनांक 18.12.2017 के अंक में प्रकाशित किया गया है।
- 02 उक्त विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उल्लेखित अतिरिक्त समय/ सहलेखक की व्यवस्था निम्नानुसार संशोधित की जाती है :-
- 1 ऐसे दिव्यांग परीक्षार्थी जिनके दोनों हाथ नहीं हैं या जो दोनों हाथों से लिख नहीं पाते हैं उन्हें 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
 - 2 परीक्षार्थी से उसकी निःशक्तता के सम्बंध में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र लिया जाए, जिसमें 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता वाले अभ्यर्थी ही मान्य किए जायेंगे।
 - 3 सहायक लेखक और पारिश्रमिक के मध्य निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान परीक्षार्थी को ही करना होगा। आयोग किसी भी स्थिति में इस भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सहायक लेखक की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
 - 4 दिव्यांग अभ्यर्थी के चाहे जाने पर सहायक लेखक की अनुमति केंद्राध्यक्ष द्वारा दी जाएगी। सहायक लेखक के संबंध में "Criteria like educational qualification, marks scored, age or other such restrictions for the scribe/reader/lab assistant should not be fixed." का पालन किया जाएगा।
 - 5 सहायक लेखक से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र अवश्य भरवाया जायेगा तथा सहायक लेखक से घोषणा पत्र पर बायें/दायें हाथ से अंगूठे का निशान भी लगवाया जायेगा।
 - 6 ऐसे परीक्षार्थियों को तल मंजिल के अलग कक्ष में बैठाया जायेगा तथा उन पर वीक्षण कार्य हेतु पृथक से कम से कम दो वीक्षक नियुक्त किए जायेंगे।
- 03 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।


सचिव